



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदस्य सं. 4307
REF. NO. (सी-4) लखनऊ/94

दिनांक 05/08/94
DATED.....19 94

सेवा में,

मो. सी. बी. एम. कं. प्र. ल. र. सं. ...
ए. 20. राज. नगर. दिल्ली का सैक्टर
..... राज. नगर

विषय: परामर्शों के स्वर में बंजीकरण ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त से सम्बन्धित अपने पत्रांक. E.F./B.W./108/94.....
दिनांक. 16.8.94. का संदर्भ लें। मुझे आपको यह सूचित करने को निर्दिष्ट
किया गया है कि आपका नाम जन/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्वीकृत परामर्शों की
सूची में शामिल कर लिया गया है। आपका बंजीकरण दिनांक. 31-12-94...
तक मान्य है तथा बंजीकरण संख्या ABM/94... है। कृपया आब समय-समय पर
प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किये गये प्रयासों से बोर्ड को अवगत कराते रहिये। कि-
न्ने आपके बोगटान से बोर्ड अवगत हो सके।

कृपया यह भी ध्यान दें कि बोर्ड में उपरोक्त बंजीकरण को परामर्शों द्वारा
सूचित प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं तथा बोर्ड की अधिकृत प्रयोगशालाओं हेतु स्वीकृति
न सम्पन्न जाये।

आपको यह सलाह भी दी जाती है कि अगर आप ने अपने आपको सम्बन्धी
अधि नियम 1956 के अन्तर्गत बंजीकृत नहीं करवाया है तो बंजीकृत करवा लें। कृपया
उद्योगों की परामर्शों के स्वर में सेवा करने हेतु किये गये अनुबन्धों की प्रतिलिपि भी
हस्तगत करें। इन प्रकार के अनुबन्धों में सज्जाई के स्रोत, क्रिया-न्वयन गारण्टी, तकनीकी
विवरण, तथा निर्माण की रूप रेखा का स्पष्ट विवरण अंकित होना चाहिए।

परामर्शों को प्रोजेक्ट के उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी
जाती है। ये परामर्शों जो दर्ज की आधार पर कार्य करवाने की क्षमता रखते हैं,
बोर्ड को इस सम्बन्ध में किये गये कार्यों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

P. K. W. H. O.
05/08/94

कोशल विश्वार।
पर्यावरण अभियंता। वृत्त-4।